अध्याय 2

कर्मचारी वर्ग की संख्या, भर्ती, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, सेवा-समाप्ति तथा सेवा-निवृत्ति

3. कर्मचारी वर्ग की संख्या -(1) अपने बजट में की गयी व्यवस्था तथा अपने कार्य की आवश्यकताओं के अधीन रहते हुए सहकारी समिति आवश्यकतानुसार कर्मचारियों के एक या एकाधिक वर्ग रखेगी।

(2) समिति द्वारा कर्मचारियों की संख्या में वृद्वि या वेतनमान में वृद्वि, यदि आवश्यक हो, केवल उस दशा में की जायेगी-

(क) जब प्रबन्ध कमेटी द्वारा कारण तथा व्यय वहन करने की समिति की आर्थिक क्षमता या उसके पास उपलब्ध संसाधनों का उल्लेख करते हुए पूर्व नोटिस के साथ इस निमित्त कोई संकल्प पारित किया गया हो; और

(ख) यदि समिति अधिनियम के अध्याय 6 के उपबन्धों के अधीन किसी राजकीय सहायता का उपभोग कर रही हो या बाहरी उधार लिए हो तथा निबन्धक का पूर्व अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया हो:

प्रतिबन्ध यह है कि चूक करने वाली समिति की दशा में, सम्बद्व सहकारी समिति की प्रमुख केन्द्रीय समिति से परामर्श किये बिना, निबन्धक द्वारा कोई अनुमोदन नहीं किया

जायेगा।

[1][4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचति जनजाति आदि के लिए आरक्षण-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गो और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए जारी किये गये आदेशों के अनुसार होगा।]

[2][5. भर्ती-(1) किसी सहकारी समिति में सभी नियुक्तियों के लिए भर्ती मण्डल द्वारा होगी, चाहे भर्ती-

(क) सीधी हो; या

(ख) समिति की सेवा पहले से कार्यरत कर्मचारियो में से पदोन्नति द्वारा हो, या

(ग) किसी व्यक्ति को, जो अधिनियम के अधीन निबन्धित या निबन्धित समझी जाने वाली किसी अन्य समिति की सेवा में पहले से हो, या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में किसी निगम या उपक्रम या किसी स्थानीय निधि का प्रबन्ध करने वाले नियमिति निकाय के अधीन सेवायोजित हो, को प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा लेकर हो।

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी मण्डल को कोई अभिदेश निम्नलिखित मामलों मे आवश्यक नहीं होगा-

(क) जब निबन्धक की सहमति से किसी पद को किसी सरकारी सेवक की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरना प्रस्तावति हो, या

(ख) जब नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्रबन्ध कमेटी या कोई अन्य प्राधिकारी किसी पद को छः मास से अनधिक अवधि के लिए अन्तःकालीन व्यवस्था के रूप में, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के सिद्वांत पर ठीक नीचे के संवर्ग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव करेः

1. अधिसूचना संख्या 3470/12-सी-2-85-77, दिनांक 22 अगस्त 1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिसूचना संख्या 4738/12-सी-2-151(5)-83 दिनांक 13 दिसम्बर 1993 द्वारा (उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा (आठवां सशोंधन) विनियमावली 1993) द्वारा प्रतिस्थापित जो उत्तर प्रदेश साधारण गजट भाग 1-क दिनांक 26 मार्च, 1994 में प्रकाशित हुआ।

प्रतिबन्ध यह है कि मण्डल से परामर्श किए बिना इस प्रकार की गई कोई नियुक्ति प्रत्येक स्थिति मे उस दिनांक से प्रभावी न रह जायेगी जिस दिनांक को छः मास की अवधि समाप्त हो जाये और उच्चतर पद पर पदोन्नत कर्मचारी को जब तक उसे उक्त छः मास की अवधि के भीतर अपने मूल पद पर पहले ही प्रत्यावर्तित न कर दिया गया हो, ऐसी पदोन्नति के ठीक पूर्व उसके द्वारा धृत पद पर उस दिनांक से प्रत्यावर्तित समझा जायेगाः

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपखण्ड के अधीन उच्चतर पद पर नियुक्त कर्मचारी को, किसी भी परिस्थिति में उक्त छः मास की अवधि के भीतर इससे भी उच्चतर पद पर इस उपखण्ड के अधीन न तो पदोन्नत किया जायेगा और न उसे प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन उसके पत्यावर्तन के बाद पुनः उसी पद पर इस उपखण्ड के अधीन नियुक्त किया जायेगा।

(3) खण्ड (1) के अधीन मण्डल को दिये गये कर्तव्यो का पालन सुगम बनाने के लिए प्रत्येक सहकारी समिति प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर तक नये पदो के सृजन, सेवा-निवृत्त, प्रतिनियुक्ति या अन्य कारणों से अगले कलेण्डर वर्ष के दौरान होने वाली सम्भावित रिक्तियों की लगभग संख्या मण्डल को संसूचित करेगी।

[1][(4) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती एक चयन समिति/समितियों द्वारा की जायेगी, जिसमें-

(एक) जिला/केन्द्रीय सहकारी बैकों, जिला सहकारी फेडरेशनों, उत्तर पद्रेश पोस्टल इम्प्लायीज को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ और अवध और रूहेलखण्ड, रेलवे कर्मचारी सहकारी बैक लिमिटेड, लखनऊ तथा अर्बन को-आपरेटिव बैंक की स्थिति में निम्नलिखित होगे-

(क) समिति का सभापति/प्रशासक, जो सभापति होगा,

(ख) समिति का सचिव, जो संयोजक होगा, और
(ग) जिले का सहायक निबन्धक, और

(दो) शीर्ष सहकारी समितियों की स्थिति में निम्नलिखित होंगे -

(क) समिति का सभापति/प्रशासक या उसके द्वारा नाम निदेर्शिती, जो सभापति होगा,
(ख) समिति का प्रबन्ध निदेशक अथवा उसका निदेर्शिती जो संयोजक होगा, और
(ग) निबन्धक द्वारा नाम निर्दिष्ट संयुक्त निबन्धक से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी

(5)खण्ड (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा किये गये चयन, मण्डल के अनुमोदनाधीन होंगे और नियुक्तिया मण्डल के अनुमोदन के पश्चात् ही की जायेंगी।
(6)खण्ड (3) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, कोई सहकारी समिति जिसमें नियुक्तिया की जानी हों, मण्डल को रिक्ति के भरे जाने के कम से कम तीन मास पूर्व परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में एक अधियाचन भेजेगा। समिति द्वारा प्रकाशन के लिए विज्ञापन भेजे जाने के पश्चात् अधियाचन में सामान्यत: कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

1. अधिसूचना संख्या 3461/49-3-2007-73-2007 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ जो उत्तर प्रदेश असाधारण, गजट, भाग 4, खण्ड (ख) दिनांक 4 अक्टूबर, 2007 को प्रकाशित

हुआ (4 अक्टूबर, 2007 से प्रभावी)

(7) किसी पद पर भर्ती करने में मण्डल नियुक्ति समिति या उस समिति से, जिससे नियुक्ति समिति सम्बद्व हो, अपने किसी एक अधिकारी को मण्डल को भेजने की अपेक्षा कर सकता है, और जब किसी तकनीकी पद या ऐसे पद पर भर्ती की जानी हो, जिसके सम्बन्ध में विशिष्ट ज्ञान या निपुणता अपेक्षित हो, तो मण्डल किसी समुपयुक्त संस्था या प्राधिकारी से मण्डल की सहायता के लिए एक तकनीकी सलाहकारी भेजने के लिए भी अनुरोध कर सकता है।

[1][6. प्रत्येक सहकारी समिति, मण्डल के पूर्वानुमोदन से अपने कर्मचारियों के प्रत्येक संवर्ग के पदों को कर्मचारियों को परिलब्धियों, कर्तव्यों और कृत्यों को दृष्टि में रखते हुए श्रेणी एक, दो, तीन और चार में श्रेणीबद्व करेगी।

[2][7. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की अपेक्षित न्युनतम शैक्षिक अर्हताओं और अनुभव ऐसा होगा जैसा निबन्धक द्वारा मण्डल के पूर्वानुमोदन के पद से सम्बद्व कर्तव्यो और उत्तरदायित्व की प्रकृति को दृष्टि में रखते हुए विनिर्दिष्ट किया जाये यदि निबन्धक द्वारा ऐसी कोई अर्हतायें विनिर्दिष्ट न की गयी हों, तो समिति निबन्धक से उसके लिए अनुरोध करेगी।

8. नियुक्ति का प्रतिषेध – कोई व्यक्ति-

(क) किसी समिति के चेक या अन्य परक्राम्य लिखतों पर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त हस्ताक्षर करने, या

(ख) किसी दूसरे व्यक्ति के साथ दोहरी ताला व्यवस्था के अन्त्रगत चाबी रखने का कर्तव्य-पालन करने या सौंपे जाने के लिए नियुक्त नहीं किया जायेगा। यदि ऐसे व्यक्ति

नियम 2 के खण्ड (ग) के अधीन परस्पर निकट सम्बन्धी हों।

9. ऐसे व्यक्ति जो, सरकारी सेवा या अधिनियम के अधीन किसी निबन्धित समिति या निबन्धित समझी गयी समिति की सेवा या किसी निगमित निकाय की सेवा से पदच्यूत कर दिये गये हों, सहकारी समिति में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें।

10.(1) कर्मचारियों का वेतन वही होगा जो -

(क) इस विनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक को प्रवृत्त हो,

(ख) विनियम संख्या 3(2) के उपबन्धो के अधीन प्रबन्ध समिति द्वारा पुनरीक्षित किया जाये,

(ग) नयी निबन्धित समिति की दशा में, प्रबन्धक कमेटी द्वारा अवधारित किया जायेः

प्रतिबन्ध यह है कि यदि समिति अधिनियम के अध्याय 6 के अधीन राजकीय सहायता प्राप्त कर रही हो या उसने उसके लिए आवेदन किया हो तो निबन्धक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(2) प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियो को सहकारी समिति तथा उस प्राधिकारी के, जहॉ के कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर लिया गया हो, उस बीच समस्त प्रतिनियुक्ति के निबन्धनों और शर्तो के अनुसार वेतन तथा अन्य परिलब्धियॉ दी जायेगीः

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे निबन्धक तथा शर्ते निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये किन्ही अनुदेशों से असंगत होंगी।

[3][(3) जहॉ किसी सहकारी समिति का स्थायी कर्मचारी दूसरी सहकारी समिति की सेवाओं में आमेलन का विकल्प करता है, वहा मण्डल द्वारा निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तो पर ऐसे आमेलन की स्वीकृति दी जा सकती है, अर्थात -

1. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा प्रतिस्थापित, जो उत्तर प्रदेश साधारण गजट, भाग 1-क, दिनांक 30 जुलाई, 1983 में प्रकाशित हुआ।
2. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा प्रतिस्थापित, जो उत्तर प्रदेश साधारण गजट, भाग 1-क, दिनांक 30 जुलाई, 1983 में प्रकाशित हुआ।
3. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा बढ़ायी गयी।

(एक) दोनों सहकारी समितियॉ ऐसे आमेलन के प्रति सहमति के लिए प्रस्ताव पारित करेगी और आमेलन करने वाली समिति ऐसे कर्मचारी को अपने अधीन किसी ऐसे पद पर नियुक्त करेगी जो उसके द्वारा पहले धृत पद के समकक्ष हो या अगले उच्चतर वेतनमान में हो।

(दो) कर्मचारी दूसरी सहकारी समिति के अधीन स्थायी आधार पर अपने आमेलन के दिनांक से पहले सेवायोजित कराने वाली समिति के अधीन अपनी नियुक्ति से त्याग-पत्र देगा। त्याग-पत्र सम्बद्ध सहकारी समिति द्वारा उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर स्वीकार कर लिया जायेगा और उसके ऐसा न करने पर, उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया समझा जायेगा।

(तीन) ऐसे आमेलन की स्थिति मे, पहले सेवायोजित करने वाली सहकारी समिति के अधीन आमेलन के दिनांक के ठीक पूर्व कर्मचारी क लेखा में समस्त अवकाश समाप्त हो जायेगा और आमेलित कर्मचारी का दूसरी सहकारी समिति के अधीन उसके आमेलन के पश्चात् उसके लिए कोई दावा नहीं रहेगा।

(चार) नयी सहकारी समिति के अधीन पद से सम्बद्व समयमान में आमेलन के दिनांक से कर्मचारी का प्रारिम्भक वेतन निम्नलिखित रूप में विनियमित होगा:

(क) जब नये पद नियुक्त होने से ऐसे कर्तव्य और उत्तरदायित्व का भार ग्रहण करना पड़े जो पुराने पद के कर्तव्य और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अधिक महत्व रखते हों, तो कर्मचारी प्रारम्भिक वेतन के रूप में ऐसा वेतन आहरित करेगा जो पुराने पद के समबन्ध में उसके मूल वेतन के ठीक अगले प्रक्रम पर समयमान में अनुमन्य हो।

(ख) जब नये पद पर नियुक्त होने पर ऐसा कार्यभार ग्रहण न करना पड़े तब आमेलित कर्मचारी प्रारम्भिक वेतन के रूप मे ऐसा वेतन आहरित करेगा जो पुराने पद के सम्बन्ध में उसके मूल वेतन के समकक्ष हो या यदि कोई ऐसा प्रक्रम न हो तो उस वेतन के ठीक नीचे के प्रक्रम पर अनुमन्य वेतन के साथ पुराने पद में उसके मूल वेतन और नये पद पर आहरित किये जाने वाले प्रारम्भिक वेतन की धनराशि के अन्तर के बराबर वैयक्तिक वेतन आहरित करेगा और दोनो में से किसी भी स्थिति मे, वह उस वेतन को ऐसी अवधि तक, जिसमें उसे पुराने पद के समयमान में, यदि वह उस पद पर बना रहता है, एक वेतन-वृद्वि प्राप्त हुई हो, या उस अवधि तक जिसके पश्चात् नये पद के समयमान में कोई वेतन-वृद्वि अर्जित कर ली जाये, इसमे जो भी कम हो, आहरित करता रहेगा:

किन्तु यदि नये पद के समयमान का न्यूनतम वेतन पुराने पद के सम्बन्ध में उसके मूल से अधिक है तो वह उस न्यूनतम को प्रारम्भिक वेतन के रूप में आहरित करेगा।

(ग) जब नये पद पर कर्मचारी की नियुक्ति स्वयं उसके अनुरोध पर की जाये और उस पद का समयमान में अनुमन्य अधिकतम वेतन पुराने पद के सम्बन्ध मे कर्मचारी के मूल वेतन से कम हो, तब वह उस अधिकतम वेतन को प्रारम्भिक वेतन के रूप में आहरित करेगा।,

11. मण्डल के अनुमोदन के सिवाय, नियुक्ति करने वाली सहकारी समिति किसी अभ्यर्थी

का विनियम संख्या 5 (7) में अभिदिष्ट अधियाचन प्रपत्र मे उल्लिखित परिलब्धियों से भिन्न परिलब्धियों पर नियुक्ति नहीं करेगी।

[1]["12.[2][(1)Age — A candidate for direct recruitment to post in Category I, II or III must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 35 years as on the first day of the year of recruitment, if the posts are advertised by the Board during the first half of the year ending on June 30, and as on the first day of July of the year of recruitment, if the posts are advertised during the second-half of the year ending on December 31, for recruitment to posts in Category IV the age of a candidate as calculated on the aforesaid date, shall not be less than 18 years or exceed 35 years."

(2) खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी अधिकतम आयु सीमा निम्नलिखित पर लागू नही होगीः

(1) प्रतिनियुक्ति पर लिया गया कोई सरकारी सेवक,

(2) नियुक्त करने वाले सहकारी समिति में प्रतिनियुक्ति पर कोई ऐसा सरकारी सेवक, जिसने 30 वर्ष से अधिक आयु में उक्त समिति की सेवा के लिये अन्तिम रूप से विकल्प किया हो,

(3) विनियम 5 के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अधीन भर्ती किया गया कोई व्यक्ति,

(4) नियुक्ति करने वाली सहकारी समिति का छंटनी किया गया कोई कर्मचारी, और

(5) जहॉ कोई-सेवा निवृत्त सरकारी सेवक, जिसे कार्य का सुसंगत अनुभव है, किसी पद पर निबन्धक के पूर्वानुमोदन से नियुक्त किया जाये।,

1. अधिसूचना संख्या 4738/12-सी-2-151(5)-83 दिनांक 13 दिसम्बर 1993 द्वारा प्रतिस्थापित, जो उत्तर प्रदेश साधारण, गजट, भाग 1-क, दिनांक 26 मार्च 1994 में प्रकाशित हुआ।

2. अधिसूचना संख्या 849/XLIX-2-2000-26(15)-2000 दिनांक 9 मई 2000 द्वारा उपधारा (1) प्रतिस्थापित जो उ0प्र0 असाधरण गजट भाग-4 खण्ड (ख) दिनांक 9 मई 2000 को प्रकाशित हुआ।

पुरानी उपधारा (1):(1) श्रेणी एक या दो में पदो पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद 30 जून को समाप्त होने वाले प्रथम अर्द्ध वर्ष के दौरान मण्डल द्वारा विज्ञापित किये जाये, और भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को, यदि पद 31 दिसम्बर को समाप्त होने वाले द्वितीय अर्द्ध वर्ष के दौरान ज्ञापित किये जायें, 21

वर्ष की होनी चाहिये और 32 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिये कर्मचारी की आयु, जैसा उपर्युक्त दिनांक को संगठित किया जाये, 18 वर्ष से कम या 32 वर्ष से अधिक नही होगी:

प्रतिबन्ध यह है कि उच्चतर आयु सीमा -

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचति जनजाति और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की स्थिति में जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, ऐसे वर्षो तक समय-समय पर उतने वर्ष अधिक होगी, जैसा विनिर्दिष्ट की जाये,

(2) भर्ती करने वाली सहकारी समिति के अधीन किसी विशेष श्रेणी के पदों पर तदर्थरूप से पहले से ही कार्यरत अभ्यर्थियों की स्थिति में, अधिकतम पॉच वर्ष के अधीन रहतें हुए, उनके द्वारा उस श्रेणी में की गयी निरन्तर सेवा की अवधि तक अधिक होगी,

(3) ऐसे पदो के लिए जिनके वास्ते किसी विशिष्ट कार्य की प्राविधिक जानकारी और अनुभव अपेक्षित हो, अभ्यर्थियों की स्थिति में 45 वर्ष होगी,

(4) 1 जनवरी 1990 को या उसके पूर्व विश्व बैंक परियोजना प्रभाग में गैर तकनीकी पदों पर तदर्थ आधार पर या समेकित वेतन पर नियुक्त व्यक्तियों की स्थिति में उस श्रेणी में उनके द्वारा पहले से की गयी निरन्तर सेवा की अवधि की सीमा तक शिथिल कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरण - पद "प्राविधिक जानकारी" के अन्तर्गत चार्टड एकाउन्टेन्सी, कास्ट एण्ड वकर्स एकाउन्टेन्सी, व्यापार प्रशासन और प्रबन्ध, अभियान्त्रिकी, डेरी उद्योग, प्रशीतन अभियान्त्रिकी, चिकित्सा विज्ञान और विधि व्यवसाय भी होंगे।

13. सहकारी समिति की सेवा में प्रवेश करने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिनांक की

घोषण करेगा जो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में प्रविष्ट जन्म-दिनांक से भिन्न नहीं होगी, और उसके न होने पर, आयु के प्रयोजनार्थ तत्समान, विधिमान्य समझे गये किसी अन्य लेख्य से भिन्न नही होगी। साक्षर कर्मचारी वर्ग की दशा में, कर्मचारियों के सेवा अभिलेख में उनका जन्म-दिनांक उनके हाथ की लिखत से प्रविष्ट किया जायेगा। अशिक्षित कर्मचारियों की दशा में घोषित जन्म दिनांक सम्बद्ध सहकारी समिति के सचिव द्वारा अभिलिखित किया जायेगा और उसी सहकारी समिति के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा उसका साक्ष्य दिया जायेगा। सचिव घोषणा की एक सही प्रतिलिपि प्राप्त अभिस्वीकृति के अन्तर्गत सम्बद्ध कर्मचारी को प्रेषित करेगा।

14. नियुक्ति के लिए चयन किये गये प्रत्येक व्यक्ति से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्नलिखित को प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी -

(क) सिविल सर्जन या पी0एम0एस0 चिकित्सा अधिकारी से स्वस्थता का प्रमाण-पत्र जैसा समिति अपेक्षा करे;

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा प्रमाण-पत्र किसी ऐसे व्यक्ति को देना आवश्यक नही होगा, जो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाये या जिसका पदोन्नति द्वारा चयन किया जाये और जो अपनी पहली नियुक्ति पर पहले ही स्वस्थता का प्रमाण-पत्र दे चुका हो;

1[(ख) दो राजपत्रित अधिकारियों से अच्छे आचारण का प्रमाण-पत्र।]

(ग) अभ्यर्थी द्वारा इस आशय का एक घोषणा-पत्र कि वह अविवाहित है या यदि विवाहित है तो उसकी एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं है, नियुक्ति के प्रस्ताव में इस आशय की शर्ते दी होंगी-

टिप्पणी - सम्बध सहकारी समिति का सचिव किसी कर्मचारी के चरित्र को पुलिस प्राधिकारियों द्वारा भी या विवाह घोषणा-पत्र को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करा सकता हैं।

15.(1) कोई भी नियुक्ति विनियमों में इसके पूर्व व्यवस्थित रीति के सिवाय अन्य प्रकार से नही की जायेगी। यदि विनियम संख्या 5 में मण्डल द्वारा या उसके अनुमोदन से भर्ती की व्यवस्था की गयी हो तो मण्डल द्वारा संसूचित अभ्यर्थी तथा सूची में उल्लिखित उसकी नियुक्ति- क्रम के सिवाय कोई अन्य नियुक्ति नहीं की जायेगी।

(2) नियुक्ति खण्ड (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए समिति की प्रबन्ध कमेटी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाये, की जायेगी:

प्रतिबन्ध यह है कि सचिव के सम्बन्ध में नियुक्ति पत्र सभापति द्वारा जारी किया जायेगा तथा समस्त अन्य मामलों मे यह समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। नियुक्ति पत्र में पद का नाम, नियुक्त का स्थान, नियुक्ति का प्रकार यथानियमित या अस्थायी, परिवीक्षा की अवधि तथा प्रतिभूति, यदि कोई हो, मानक्रम सहित वेतन तथा विनियम संख्या 14 में अभिदिष्ट शर्ते तथा वह दिनांक जब तक उसे कार्यभार ग्रहण करना हो, दिया होगा।

[2][(3) यह देखना समिति का कर्तव्य होगा कि समिति से अधियाचन पर चयन किये गये अभ्यर्थियों को मण्डल से चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के भीतर, नियुक्ति पत्र जारी कर दिये जायें, ऐसा न करने पर निबन्धक द्वारा समिति या व्यक्तिक्रम अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।]

1. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा प्रतिस्थापित,

जो उत्तर प्रदेश साधारण गजट, भाग 1-क, दिनांक 30 जुलाई, 1983 में प्रकाशित हुआ।
2. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा बढ़ायी गयी।

16. जहॉ नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर की जाये, उस मामले के सिवाय प्रथम प्रतिनियुक्तिया उस वेतन श्रेणी के, जिसमें नियुक्ति की जाये, न्यूनतम वेतन पर होगी:
प्रतिबन्ध यह है कि मण्डल के पूर्वानुमोदन से पद के लिये विशेष अर्हतायें रखने वाले व्यक्ति को उच्चतर प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है।
17. **परिवीक्षा.**-(1) नियमित रिक्तियों के प्रतिनियुक्त किये जाने पर समस्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे:
प्रतिबन्ध यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी, व्यक्ति विशेष के मामलों में परिवीक्षावधि को जितनी वह उचित समझे ऐसी अग्रेतर अवधि के लिए जो एक वर्ष से अनधिक हो, बढ़ा सकता है।
स्पष्टीकरण - कोई पद नियमित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि वह गत 5 वर्ष से लगातार विद्यमान न हो।
[1][(2) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षा पर रखे गये व्यक्ति ने दिये गये अवसर का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे सेवा उन्मुक्त किया जा सकता है ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व उसके द्वारा मूलरूप से धृत पद, पर यदि काई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।
(3) खण्ड (2) के अधीन परिवीक्षा-अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान या

उसके अन्त में सेवा-उन्मुक्त व्यक्ति को तब तक कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह उसके मामले मे लागू किसी विधि के आज्ञा के उपबन्धों के अधीन उसके लिये हकदार हो।]

18. स्थायीकरण.-(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को, परिवीक्षा-अवधि की सन्तोषप्रद समाप्ति के पश्चात स्थायी कर देगा, यदि पूर्व विनियम के अनुसार पद नियमित हो।

(2) यदि किसी ऐसे पद को जो नियमित पद न हो, धारण करने वाले व्यक्ति विनियम संख्या 17 (1) के अर्थानुसार परिवीक्षा पर रखा गया न समझा जाये तो उसके स्थायीकरण का प्रश्न नही उठता।

स्पष्टीकरण-यदि ऐसी शंका उत्पन्न हो कि किसी विशेष सहकारी समिति में कोई विशेष पद नियमित है या नहीं मामला किसी न्यायालय के विचाराधीन नहीं है तो यह मण्डल को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

यदि ऐसे पदों की संख्या जिन पर स्थायीकरण किया जाना हो, स्थायीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों की संख्या से कम हो तो स्थायीकरण अयोग्य को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

19. सेवा-समाप्ति - किसी कर्मचारी की सेवायें निम्नलिखित रीति से समाप्त होंगी-

(क) किसी अस्थायी कर्मचारी की दशा में, किसी भी ओर से एक महीने की लिखित नोटिस देकर या उसके बदले में नोटिस देने वाले पक्ष द्वारा एक मास के वेतन का भुगतान करके:

प्रतिबन्ध यह है कि किसी विशिष्ट अवधि के लिए की गयी सीधी नियुक्ति की दशा में कोई

नोटिस देने या उसके बदले मे किसी वेतन का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।
स्पष्टीकरण-"विशिष्ट अवधि" से तात्पर्य 6 मास कम की कथित अविध से है।

1. अधिसूचना संख्या 432/12-सी-2-85-77, दिनांक 17 मई 1983 द्वारा प्रतिस्थापित, जो उत्तर प्रदेश साधारण गजट, भाग 1-क, दिनांक 30 जुलाई, 1983 में प्रकाशित हुआ।

(ख) किसी स्थायी कर्मचारी की दशा में, किसी भी ओर से 3 महीने की लिखित नोटिस देकर।
स्पष्टीकरण (1) विनियम 19 के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा दी गयी नोटिस तभी समुचित समझी जायेगी, जब वह नोटिस की अवधि में कार्यरत रहा हो:
प्रतिबन्ध यह है कि किसी भी कर्मचारी को, अनुरोध करने पर उसे देय उपार्जित अवकाश के उस भाग का, जो नोटिस की अवधि से अधिक न हो, उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती हैं
(2) इस विनियम में प्रयुक्त पद "मास" 30 दिन की अवधि होगी, जो उस दिनांक के जब, यथास्थिति, कर्मचारी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस प्राप्त की जाये ठीक बाद के दिनांक से प्रारम्भ होगी।
20. यदि कोई कर्मचारी जिसे उसके पद की छटनी किये जाने के कारण नोटिस तामील की गयी हो, उसे प्रस्थापित किये गये किसी निम्न श्रेणी के पद को स्वीकार करे तो निम्न पद पर उसके वेतन तथा ज्येष्ठता निर्धारित करने के लिए उसके द्वारा उच्चतर पद पर की गयी सेवाओं की गणना की जायेगी।

21. सेवायोजक समिति की ओर से सेवा-समाप्ति की नोटिस नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दी जायेगी।

22. यदि सिविल सर्जन द्वारा यह प्रमाणित कर दिया गया हो कि कोई कर्मचारी उसके सेवायोजन से प्रोदभूत तथा उसके सेवायोजन के दौरान हुई किसी शारीरिक क्षति के कारण कर्तव्य का पालन करने के लिए अशक्त या असमर्थ है तो समिति किसी अन्य धनराशि, जो उसके वेतन या अन्य भत्ते आदि के कारण उसे देय हो, के भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी सेवायें समाप्त कर देगी और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के उपबन्धों के अधीन ऐसे प्रतिकर का भुगतान करेगी, जो ऐसे कर्मचारी को अनुमन्य हो।

23. जब किसी सहकारी समिति की आर्थिक स्थिति इस सीमा तक खराब हो गयी हो कि वह निबन्धक की राय में पद के वेतन तथा अन्य परिलब्धियों का खर्च आगे वहन न कर सके तो वह निबन्धक के अनुमोदन में ऐसे पद की या तो श्रेणी निम्न कर सकती है या उस पद को पूर्णकालिक पद से परिवर्तित कर अशंकालिक पद बना सकती है या उसे पूर्णतया उत्सादित कर सकती है:

[1][प्रतिबन्ध यह है कि -

(क) पद की श्रेणी (रैंक) कम किये जाने या पूर्णकालिक पद से अशंकालिक पद में परिवर्तित किये जाने की स्थिति में उसके पदधारी को यदि वह अस्थायी कर्मचारी है तो लिखित रूप में एक मास की नोटिस और यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो तीन मास की नोटिस देकर ऐसी परिलब्धियों पर जैसे सम्बद्व सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा अवधारित की जाये, न्यूनीकृत श्रेणी में या अशंकालिक के आधार पर पद धारण करने का विकल्प दिया जायेगा। उपर्युक्त नोटिस में यह तथ्य भी इंगित किया जायेगा कि यदि वह

उक्त नोटिस में दी हुई शर्तो के अनुसार किये गये प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं करता तो कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेंगी।

(ख) पद समाप्त किये जाने की स्थिति में कर्मचारी की सेवायें उसे एक या तीन मास की नोटिस देने के पश्चात् जो इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारी उक्त पद को अस्थायी रूप में धारण करता है या मौलिक रूप में समाप्त की जायेगी।]

1-अधिसूचना संख्या 1803/49-2-2004-26(61)-2004 दिनांक 30 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रतिस्थापित (जो 30 अक्टूबर 2004 से प्रभावी)ी ।

2-अधिसूचना संख्या 1803/49-2-2004-26(61)-2004 दिनांक 30 अक्टूबर 2004 द्वारा विनियम 24-क बढ़ाया गया (30 अक्टूबर 2004 से प्रभावी)।

[1][**24. सेवानिवृत्ति.-** इस विनियमावली में अन्तर्विष्ट की सिवाय या अन्यथा किसी सहकारी समिति के किसी कर्मचारी को, जिसे 50 वर्ष की आयु के उपरान्त अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्ति न किया गया हो, सेवा से, अधिवर्षता का दिंनाक उस मास का अन्तिम दिनांक होगा जिससे वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता किन्तु यदि वह मास के प्रथम दिवस को 60 वर्ष की आयू पूरी कर लेता है तो अधिवर्षता का दिनांक पिछले मास का अन्तिम दिवस होगा।

[2][**24-क.** (1) विनियम 24 में किसी बात के होते हुए भी नियुक्ति प्राधिकारी किसी कर्मचारी को जनहित में या समिति के हित में बिना कारण बतायें, उसके पचास वर्ष पूरा करने के उपरान्त किसी समय विनियम-19 के उपबन्धों के अनुसार नोटिस देकर उससे अनिवार्य सेवानिवृत्त होने के लिए उपेक्षा कर सकता है।

(2) इस बात का समाधान होने के उद्देश्य से कि किसी कर्मचारी की खण्ड(1) के अधीन

सेवानिवृत्ति जनहित में या समिति के हित में नियुक्ति प्राधिकारी, कर्मचारी से सम्बन्धित किसी सारवान तथ्य पर विचार कर सकता है और इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात पर विचार किये जाने से पृथक् नही समझा जायगा।

(क) ऐसे कर्मचारी को दक्षता रोक पार करने या उसे किसी पद पर पदोन्नति किये जाने की अनुमति दिये जाने के पूर्व की किसी अवधि से सम्बन्धित प्रविष्टिया, या

(ख) प्रतिकूल प्रविष्टि जिसमें विशेष प्रतिकूल प्रतिष्टि भी सम्मिलित है, जिसके विरूद्व प्रत्यावेदन लम्बित हो।

(ग) कर्मचारी द्वारा किया गया कृत्य जो समिति के अधिनियम, नियमों, उपविधियों एवं इस विनियमावली के अधीन निर्बन्धित हो अथवा अधिनियम के अधीन की गयी जाच, निरीक्षण का लेखापरीक्षा के दौरान, उसके विरूद्व की गयी कोई प्रतिकूल टिप्पणी अथवा अधिनियम की धारा-68 के अधीन उसे अधिभारित किया गया हो अथवा, अधिनियम की धारा-38 के अधीन निबन्धक द्वारा उसके विरूद्व समिति से कार्यवाही की अपेक्षा की गयी हो।

(3) कर्मचारी, जिसके विरूद्व अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश जारी किया गया हो, की सेवाएं आदेश जारी होने के दिनांक से समाप्त हुई समझी जायेगी और विनियम 19 के उपबन्ध, उसके वेतन और अन्य परिलब्धियों के भुगतान के लागू होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् ही जारी किया जायेगा।